छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

क्र.– 2607/ब–4/चार/संसा/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/12/2025

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर

विषयः– राज्य पोषित योजनाओं के लिये Just in Time प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में।

———————00———————

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग–एक के सहायक नियम 284 के अनुसार "कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायगी जब तक कि तत्काल संवितरण किया जाना आवश्यक न हो। मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से अग्रिम निकालना एक गम्भीर अनियमितता है।"

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये Just in Time प्रणाली पर आधारित SNA-SPARSH मॉडल लागू किया गया है, जिससे इन योजनाओं में अग्रिम आहरण पर नियंत्रण संभव हो सका है। वर्तमान में विभिन्न राज्य पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राशि कोषालय से आहरित कर बैंक खातों में रखी जाती है। अग्रिम आहरण के कारण अप्रयुक्त राशि बैंक खातों में Idle पड़ी रहती है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की भांति राज्य पोषित योजनाओं के लिए भी Just in Time प्रणाली पर आधारित Mother - Child Account व्यवस्था लागू की जाए। उदाहरण के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आदि के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्य स्वीकृत करते हुए राशि का अग्रिम आहरण कर बैंक खाते में रखी जाती है एवं संबंधित नगरीय निकायों के खातों में बाद में राशि किश्तों में अंतरित की जाती है। इसी प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मूलभूत कार्यो हेतु अनुदान, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना आदि के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कार्य स्वीकृत करते हुए राशि अग्रिम आहरण कर जिला पंचायत के बैंक खाते में रखी जाती है तथा संबंधित ग्राम पंचायत को बाद में राशि किश्तों में दी जाती है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है तथा किसी भी स्वीकृत कार्य में कार्य की प्रगति के आधार पर राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी को किया जाना चाहिए।

अतः सभी विभागों से अनुरोध है कि कृपया विभागीय बजट में राज्य पोषित योजनाओं के लिए Just in Time प्रणाली आधारित Mother - Child Account व्यवस्था दिनांक 31.12.2025 तक लागू की जाये। इसके लिए संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा e-Kosh में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। तद्नुसार इस संबंध में समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ.क्र.– 2608/ब–4/चार/संसा/2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/12/2025

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मंत्रालय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय
3. संचालक, संचालनालय कोष एवं लेखा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. राज्य सूचना अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., मंत्रालय

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग